संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक–2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
(Telephone-0771-2511974, email-directorateoffood@gmail.com, website- www.khadya.cg.nic.in)

क्रमांक– 215 /विधानसभा/2025 नवा रायपुर, दिनांक 21/2/2025

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर,

विषय– विधानसभा प्रश्न क्रमांक 824 अतारांकित द्वारा श्री ललित चंद्राकर, सदस्य विधानसभा की जानकारी।

कृपया विषयांतर्गत विधानसभा प्रश्न क्रमांक 824 द्वारा श्री ललित चंद्राकर, सदस्य विधानसभा का उत्तर समस्त जिलों से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

(संचालक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न–उपरोक्तानुसार

अपर संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.
संचालनालय, नया रायपुर

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय
प्रश्न

(1)	प्रश्न क्रमांक	-	824
(2)	विभाग से उत्तर प्राप्त होने की अंतिम तिथि	-	25.02.2025
(3)	सदन में उत्तर देने की तिथि	-	04.03.2025
(4)	वर्ग जिसके लिए वह तिथि नियत है	-	वर्ग - 05

विषय- अंत्योदय अन्न योजना के तहत अपात्र लोगों को जारी किये गये राशन कार्ड।
श्री ललित चंद्राकर

अतारांकित प्रश्न

क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या छत्तीसगढ़ राज्य में अंत्योदय अन्न योजना के तहत जारी किए जाने वाले राशनकार्ड धारकों की पात्रता को सुनिश्चित करने हेतु आदेश जारी किए हैं ?

(ख) यदि हाँ तो आदेश के परिपालन में कार्यवाही प्रक्रिया की सुनिश्चितता हेतु जिला दुर्ग, जिला रायपुर, जिला रायगढ़ एवं जिला बिलासपुर में क्या विभागीय कार्यवाहियां की गई ? जानकारी दें?

(ग) यदि हाँ तो इस कार्यवाही से अपात्र लोगों द्वारा बनाए गए अंत्योदय राशन कार्ड की पकड़ में आने पर आरोपियों के विरुद्ध की गई दंडात्मक कार्यवाहियों की जिलावार ब्यौरा दें?

// उत्तर //

मानननीय खाद्य मंत्री (श्री दयाल दास बघेल)

(क) राज्य में अंत्योदय अन्न योजना के राशनकार्ड हेतु पात्रता के मापदण्ड छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 तथा छत्तीसगढ़ राशनकार्ड नियम 2016 में निर्धारित है। अंत्योदय अन्न योजना के राशनकार्ड की पात्रता निर्धारण के लिए पृथक से आदेश जारी नहीं किये गये है।

(ख) जिला दुर्ग, रायपुर, रायगढ़ एवं बिलासपुर में अंत्योदय राशनकार्ड हेतु निर्धारित पात्रता एवं मापदण्ड अनुसार अंत्योदय राशनकार्ड जारी किये जा रहे है। जिला दुर्ग में अपात्र अंत्योदय राशनकार्ड की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार जांच कार्यवाही की गयी है।

(ग) जिला दुर्ग में अपात्र अंत्योदय राशनकार्ड की शिकायत की जांच में 12 अंत्योदय राशनकार्ड अपात्र व्यक्तियों को जारी पाए जाने पर अंत्योदय राशनकार्ड निरस्त किया गया है।

अपर संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.
संचालनालय, नवा रायपुर

कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा), जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

//ज्ञापन//

क्रमांक/ 534 / खाद्य/2025 बिलासपुर, दिनांक 19/02/2025

प्रति,

संचालक,
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
संचालनालय, अटल नगर, रायपुर छ0ग0

विषयः- विधानसभा प्रश्न क्रमांक 824 अतारांकित द्वारा श्री ललित चन्द्राकर, सदस्य विधानसभा

संदर्भः- आपका पत्र क्रमांक 17 /वि.स./2025 नवा रायपुर दिनांक 14.02.2025

--000--

विषयांतर्गत विधानसभा प्रश्न क्रमांक 824 अतारांकित की जानकारी निम्नानुसार तैयार किया गया है :-

क्र	प्रश्न	क्र	उत्तर
क	क्या छत्तीसगढ़ राज्य में अंत्योदय अन्न योजना के तहत् जारी किए जाने वाले राशनकार्ड धारको की पात्रता को सुनिश्चित करने हेतु आदेश जारी किए है?	क	हॉ शासन द्वारा जारी राशनकार्ड अधिनियम 2016 में निहित पात्रता अनुसार अंत्योदय राशनकार्ड बनाये जाने के निर्देश है।
ख	यदि हॉ तो आदेश के परिपालन में कार्यवाही प्रक्रिया की सुनिश्चितता हेतु जिला दुर्ग, जिला रायपुर, जिला रायगढ़, एवं जिला बिलासपुर में क्या विभागीय कार्यवाहियॉ की गई? जानकारी दें?	ख	हॉ राशनकार्ड नियम 2016 में दिये गये पात्रता अनुसार राशनकार्ड बनाया जा रहा है वर्तमान में बिलासपुर जिले में प्रचलित अंत्योदय राशनकार्ड की संख्या 98055 है।
ग	यदि हॉ तो इस कार्यावाही से अपात्र लोगों द्वारा बनाए गए अंत्योदय राशनकार्ड की पकड़ में आने पर आरोपियों के विरूद्ध की गई दंडात्मक कार्यवाहियों की जिलावार ब्यौरा दें?	ग	राशनकार्ड नियम 2016 में दिये गये पात्रतानुसार अंत्योदय राशनकार्ड बनाये गये है अपात्र लोगो के अंत्योदय राशनकार्ड नहीं बनाये गये है।

उपरोक्तानुसार विधानसभा प्रश्न क्रमांक 824 अतारांकित की जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर सादर संप्रेषित है।

टीप - प्रश्न की पूरक जानकारी निर्धारित प्रारूप में संलग्न है।

खाद्य नियंत्रक
जिला-बिलासपुर (छ0ग0)

Scanned with OKEN Scanner

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 824 अतारांकित की जानकारी

क्र0	ज़िला	वर्ष 2024–25 में अपात्र लोगों को जारी अन्त्योदय जारी राशनकार्ड की जानकारी प्रकाश में आने पर दर्ज प्रकरणों की संख्या	की गई कार्यवाही	अपात्र अन्त्योदय राशनकार्ड जिसे निरस्त किया गया
1	बिलासपुर	निरंक		

खाद्य नियंत्रक
बिलासपुर

Scanned with OKEN Scanner

13

कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक/ 263 / खाद्य /वि0स0 / 2025 रायगढ दिनांक 18 /02/2025

प्रति,

संचालक,
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण, संचालनालय,
इंद्रावती भवन, अटल नगर
नवा रायपुर (छ.ग.)

विषयः- विधानसभा प्रश्न क्रमांक 824 अतारांकित द्वारा माननीय श्री ललित चंद्राकर, सदस्य विधानसभा की जानकारी के संबध में।

संदर्भः- आपका पत्र क्रमांक/ 17 /वि.स../2025, नवा रायपुर, दिनांक 14-02-2025

---- 000 ----

कृपया विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करनें का कष्ट करें। विधानसभा प्रश्न की जानकारी आयुक्त नगर पालिक निगम रायगढ, नगर पालिका, खरसिया एवं नगर पंचायत किरोड़ीमल नगर, पुसौर, घरघोडा, लैलूंगा, धरमजयगढ तथा जनपद पंचायत रायगढ, पुसौर, खरसिया, घरघोडा, तमनार धरमजयगढ एवं लैलूंगा से प्राप्त जानकारी अनुसार तैयार कर आपकी ओर सादर सम्प्रेषित है :-

क्रं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या छत्तीसगढ राज्य में अंत्योदय अन्न योजना के तहत जारी किए जाने वाले राशनकार्ड धारकों की पात्रता को सुनिश्चित करनें हेतु आदेश जारी किए गए हैं ?	जी हॉ शासन द्वारा जारी राशनकार्ड नियम 2016 में निहित पात्रता अनुसार अंत्योदय राशनकार्ड बनाये जाने के निर्देश हैं।
ख	यदि हॉ तो आदेश के परिपालन में कार्यवाही प्रक्रिया की सुनिश्चितता हेतु जिला दुर्ग, जिला रायपुर, जिला रायगढ एवं जिला बिलासपुर में क्या कार्यवाहियां की गई ? जानकारी दें ?	जी हॉ राशनकार्ड नियम 2016 में दिये गये पात्रता अनुसार राशनकार्ड बनाया जा रहा है। वर्तमान में रायगढ जिले में प्रचलित अन्त्योदय राशनकार्ड की संख्या 66609 है।
ग	यदि हॉ तो इस कार्यवाही से अपात्र लोगों द्वारा बनाए गए अंत्योदय राशन कार्ड की पकड में आने पर आरोपियों के विरूद्ध की गई दण्डात्मक कार्यवाहियों की जिलावार ब्यौरा दें?	राशनकार्ड नियम 2016 में दिये गये पात्रता अनुसार राशनकार्ड बनाए गये हैं अपात्र लोगों के राशनकार्ड नहीं बनाये गये हैं।

डिप्टी कलेक्टर एवं
नोडल अधिकारी 18/2/25
रायगढ (छ.ग.)

Scanned with CamS

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 824 अतारांकित

क्र.	जिला	वर्ष 2024-25 में अपात्र लोगों को जारी अन्त्योदय जारी राशनकार्ड की जानकारी प्रकाश में आने पर दर्ज प्रकरणों की संख्या	की गई कार्यवाही	अपात्र अन्त्योदय राशनकार्ड जिसे निरस्त किया गया
1	रायगढ	निरंक	निरंक	निरंक

8/2/25

डिप्टी कलेक्टर एवं
नोडल अधिकारी
रायगढ (छ.ग.)

Scanned with CamS

(18)

कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) जिला – दुर्ग

क्र 626/खाद्य/विस/2025 दुर्ग दिनांक 20/02/25

प्रति,

संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
संचालनालय, ब्लाक 2, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन,
अटल नगर, नवा रायपुर, (छ0ग0)

विषयः– विधानसभा प्रश्न क्रमांक 824 अतारांकित द्वारा श्री ललित चन्द्राकर, सदस्य विधानसभा ।

संदर्भः– आपका पत्र क्रं 44/वि.स/2025 नवा रायपुर, दिनांक 14-02-2025

==00==

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से विधानसभा प्रश्न क्र0 824 अतारांकित की जानकारी कार्यालयीन अभिलेखों के आधार पर तैयार की गई, जो निम्नानुसार है :–

	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या छ0ग0 राज्य में अंत्योदय अन्न योजना के तहत जारी किये जाने वाले राशनकार्डधारकों की पात्रता को सुनिश्चित करने हेतु आदेश जारी किये है ?	छ0ग0 शासन द्वारा अंत्योदय राशनकार्डधारियों की पात्रता राशनकार्ड नियम 2016 के तहत निर्धारित की गई हैं।
(ख)	यदि हां तो आदेश के परिपालन में कार्यवाही प्रक्रिया की सुनिश्चितता हेतु जिला दुर्ग, जिला रायपुर जिला रायगढ एवं जिला बिलासपुर में क्या विभागीय कार्यवाहियां की गई है ? जानकारी दें ।	जिले में स्थानीय निकायों द्वारा राशनकार्ड संबंधी आवेदन प्राप्त कर निर्धारित पात्रतानुसार परीक्षण उपरांत विभागीय माडयूल में प्रविष्टि हेतु जिला खाद्य कार्यालय को भेजा जाता है। राशनकार्ड पीडीएफ तैयार होने पर स्थानीय निकायों द्वारा पात्र आवेदकों को राशनकार्ड जारी किया जाता है । शिकायत मिलने पर अपात्र राशनकार्डो पर नियमानुसार कार्यवाही भी की गई है।
(ग)	यदि हां तो इस कार्यवाही से अपात्र लोगों द्वारा बनाये गये अंत्योदय राशनकार्ड की पकड में आने पर आरोपियों के विरूद्ध की गई दंडात्मक कार्यवाहियों की जिलावार ब्योरा दें ?	जिले में 12 अंत्योदय राशनकार्डधारियों के विरूद्ध शिकायत मिलने पर जांच की गई है तथा अपात्र पाये जाने पर कार्यवाही की गई है। कार्यवाही हेतु परिशिष्ट (अ) संलग्न है।

खाद्य नियंत्रक
दुर्ग

विधानसभा प्र0क0 824 की जानकारी परिशिष्ट (अ)

क्र	राशनकार्ड नं0	हितग्राही का नाम	खादय विभाग द्वारा की गई कार्यवाही
1	223781312740	हेमा यादव	अंत्योदय राशनकार्ड निरस्त
2	223865141729	मनीषा यादव	अंत्योदय राशनकार्ड हेतु प्रात्रता नही
3	223781564668	उर्मिला बाई	अंत्योदय राशनकार्ड निरस्त
4	223788919649	आर कामिनी राव	अंत्योदय राशनकार्ड निरस्त
5	223780321503	पी राधिका	अंत्योदय राशनकार्ड निरस्त
6	223786899626	जानकी देवी	अंत्योदय राशनकार्ड निरस्त
7	223783412936	खुर्सीदा खातून	अंत्योदय राशनकार्ड निरस्त
8	223788621450	जानकी वर्मन	अंत्योदय राशनकार्ड निरस्त
9	223788878725	अमर कौर	अंत्योदय राशनकार्ड निरस्त
10	223787278564	अंजू राजपूत	अंत्योदय राशनकार्ड निरस्त
11	223788414503	गोरम्मा	अंत्योदय राशनकार्ड निरस्त
12	223780332922	मैनेजर लाल	अंत्योदय राशनकार्ड निरस्त

खादय नियंत्रक

दुर्ग

(27)

कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) रायपुर

ज्ञापन

क्र./खाद्य/वि.स./2025/333 रायपुर दिनांक 20.02.2025

प्रति,

संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, नवा रायपुर

विषयः- विधानसभा प्रश्न क्रमांक 824 अतारांकित द्वारा श्री ललित चंद्राकर, सदस्य विधानसभा की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत्।

संदर्भ:- अपर संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर. संचालनालय रायपुर का पत्र क्रमांक/17/वि.स./2025, नवा रायपुर, दिनांक 14.02.2025.

—00—

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयांतर्गत चाही गई जानकारी निम्नानुसार है :-

	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या छत्तीसगढ राज्य में अंत्योदय अन्न योजना के तहत जारी किए जाने वाले राशनकार्ड धारकों की पात्रता को सुनिश्चित करने हेतु आदेश जारी किए है?	छत्तीसगढ राशनकार्ड नियम 2016 में अन्त्योदय, विशेष रूप से कमजोर सामाजिक समूहों के परिवार एवं प्राथमिकता परिवारों की पहचान हेतु दिशानिर्देश जारी किए गए है ।
(ख)	यदि हॉ तो आदेश के परिपालन में कार्यवाही प्रक्रिया की सुनिश्चितता हेतु जिला दुर्ग, जिला रायपुर, जिला रायगढ एवं जिला बिलासपुर में क्या विभागीय कार्यवाहियां की गई? जानकारी दें?	छत्तीसगढ राशनकार्ड नियम 2016 के परिपालन में रायपुर जिले में ज़ोन, जनपद, स्थानीय निकाय में हितग्राही द्वारा राशनकार्ड बनाने हेतु आवेदन दिया जाता है दिये गये समस्त दस्तावेज का ज़ोन, जनपद पंचायत तथा स्थानीय निकाय द्वारा पात्रता का परीक्षण कर पात्रतानुसार नवीन राशनकार्ड जारी किया जाता है।
(ग)	यदि हॉ तो इस कार्यवाही से अपात्र लोगों द्वारा बनाए गए अंत्योदय राशन कार्ड की पकड में आने पर आरोपियों के विरूद्ध की गई दंडात्मक कार्यवाहियों की जिलावार ब्यौरा दें?	स्थानीय निकाय में अपात्र लोगो द्वारा बनाए गए अन्त्योदय राशनकार्ड की पकड में आने की संख्या निरंक है, शेष प्रश्नांश लागू नहीं ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।
(अपर कलेक्टर महो. द्वारा अनुमोदित)

खाद्य नियंत्रक
जिला-रायपुर

प्रपत्र-1

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 824 अतारांकित
पूरक जानकारी

क्रं.	जिला	वर्ष 2024-25 में अपात्र लोगों को जारी अन्त्योदय राशनकार्ड की जानकारी प्रकाश में आने पर दर्ज प्रकरणों की संख्या	की गई कार्यवाही	अपात्र अन्त्योदय राशनकार्ड जिसे निरस्त किया गया
1	रायपुर	निरंक	निरंक	निरंक

खाद्य नियंत्रक
रायपुर